राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

3 JAN 2018

क्रमांक : प. 1(447)एम.ई / ग्रुप–1 / 2017 जयपुर, दिनांक :

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(95)डी.एम.ई. / 16 दिनांक 15.2.2017 के द्वारा डॉ0 महेश कुमार महला (मेरिट क्रमांक 91 / पिछड़ा वर्ग, जन्म तिथि 19.07.1986) को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ0 महला को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था।

प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज जोधपुर के पत्रांक एफ–2 / ई / आमवि. / जो. / 2017 / 2225 दिनांक 06.12.2017 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ0 महेश कुमार महला ने दिनांक 06.12.2017 तक वरिष्ठ प्रदर्शक पैथालोजी के पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया और इस सम्बन्ध में इनके द्वारा ना तो इस विभाग को और ना ही पदस्थापन स्थान पर किसी प्रकार की कोई सूचना प्रस्तुत की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 महेश कुमार महला उक्त नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने की इच्छुक नही है। अतः डॉ0 महेश कुमार महला के द्वारा नवनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(95)डी.एम.ई. / 16 दिनांक 15.2.2017 के द्वारा उनका वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(33)भर्ती / गोपनीय / 2013–14 / 210 दिनांक 06.09.2016 एवं एफ. 7(33)भर्ती 'ख' / 2013–14 / 771 दिनांक 06.10.2016 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
4. डॉ0 महेश कुमार महला पुत्र श्री गीदाराम महला, ढाणी बेरावाली पु.पो. दरियारामपुरा, वाया, रिंगस, तह0 श्रीमाधोपुर जिला (राज)–332404 (**रजिस्टर्ड डाक से**)।
5. सहायक प्रोग्रामर चिकित्सा शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव